13/5/25

उक्त पर अन्त बहस सुनी गई। वाद पत्र स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत डिक्री अलग से लिखवा
जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नकल दे
कर दी।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/36

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 24 दायर दिनांक : 17.01.2025

सतनाम सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ.डी.एम. हाल आबाद ग्राम रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

1. गुरदत्ता सिंह पुत्र मस्तान सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम भागसर 20 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 48 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादी
2. श्री प्रदीप कुमार, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक : 13.05.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 48 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 71/10 के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.253 है0, 24/1 में 0.202 है0 = 0.455 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 69/32 के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14/0.253 है0 = 1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी को अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में सुगमता से पहुंचने के लिए प्रतिवादी [illegible] अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला [illegible]/0.217 है0 पूर्वी पासा, 6/0.253 है0, 14/0.013 है0 पूर्वी पासा = 0.[illegible]3 है0 कमाण्ड भूमि वादी को बिना किसी प्रतिफल के देकर इसके बदले वादी के नाम की उक्त खातेदारी कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:00 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.240 है0 पश्चिमी पासा, 24/1 में 0.192 है0 पश्चिमी पासा = 0.432 है0 कमाण्ड भूमि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा जरिये तबादलानामा दिनांक 07.04.2022 को प्राप्त की हुई है जो कार्यालय उप–पंजीयक, सूरतगढ़ में दिनांक 07.04.2022 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 834 में पृष्ठ सं. 145 क्रम संख्या 202203115101945 पर पंजीबद्ध है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा तबादला में दी गई उक्त भूमि का कब्जा मय पानी की बारी के भौतिक रूप से आपस में सौंपा हुआ है, जिस पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 उक्त दिनांक से शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं। वादी ने तबादला में प्राप्त अपने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत व रूपया खर्च कर उपजाऊ बनाया, जिसमें अच्छी फसल हो रही है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 तबादला में प्राप्त अपने कब्जा काश्त वाली भूमि को स्वयं काश्त ना कर इसे आगे हिस्सा पर व कभी ठेका पर देकर काश्त करवाया जा रहा है जिससे उसकी भूमि में पूरी मेहनत ना किये जाने के कारण वादी से कम फसल हो रही है, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण वह मुताबिक पंजीबद्ध दस्तावेज तबादलानामा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दियों में अंकन करवाने में आनाकानी कर रहा है। तबादला में प्राप्त भूमि का जमाबन्दी में अंकन नहीं होने के कारण वादी राज्य सरकार के द्वारा काश्तकारों के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 ने मुताबिक तबादलानामा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन करवाने से साफ इन्कार कर दिया, इसलिए वादी ने वाद के साथ जमाबन्दी व पंजीबद्ध दस्तावेज तबादलानामा की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत कर मुताबिक तबादलानामा प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 69/32 के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14/0.253 है0 = 1.265 है0 की खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 5/0.217 है0 पूर्वी पासा, 6/0.253 है0, 14/0.013 है0 पूर्वी पासा = 0.483 है0 [illegible] खातेदारी कृषि भूमि का वादी को एवं वादी के नाम अंकित इसी चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:00 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः .... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सं. 71/10 के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.253 है0, 24/1 में 0.202 है0 = 0.455 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.240 है0 पश्चिमी पासा, 24/1 में 0.192 है0 पश्चिमी पासा = 0.432 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार घोषित किया जाकर, मुताबिक घोषणा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से कलमजन कर वादी के नाम एवं वादी के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से कलमजन कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री प्रदीप कुमार ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 30.01.2025 को प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का सगे–सम्बन्धियों, रिश्तेदारों, मित्रों के द्वारा आपस में राजीनामा करवा दिया गया है, इसलिए राजीनामा तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को दिनांक 30.01.2025 को शामिल मिसल कर पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को अदालत द्वारा पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर दोनों पक्षकारों द्वारा अपनी स्वेच्छा से स्वीकर किये जाने और प्रार्थीगण (वादी व प्रतिवादी सं. 1) की शिनाख्त उनके अभिभाषकगण द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने स्वीकार किया है कि पंजीबद्ध दस्तावेज तबादलानामा में अंकन अनुसार पक्षकारान ने भूमि का कब्जा मय पानी के प्राप्त किया हुआ है व तबादलानामा की पालना में इसी अनुसार एक दूसरे के नाम से तबादला में प्राप्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित करने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

न्याय की यह अवधारणा है कि जहां तक संभव हो उत्पन्न विवाद का निपटारा शीघ्र हो ताकि पक्षकारान का अनावश्यक धन व समय बर्बाद न हो। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य लिखित राजीनामा हो चुका है। मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:43:00 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा व तबादलानामा प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 69/32 के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14/0.253 है0 = 1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 5/0.217 है0 पूर्वी पासा, 6/0.253 है0, 14/0.013 है0 पूर्वी पासा = 0.483 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का वादी सतनाम सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति जटसिख को एवं वादी के नाम अंकित इसी चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 71/10 के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.253 है0, 24/1 में 0.202 है0 = 0.455 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.240 है0 पश्चिमी पासा, 24/1 में 0.192 है0 पश्चिमी पासा = 0.432 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 गुरदत्ता सिंह पुत्र मस्तान सिंह जाति जटसिख को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं घोषणा अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14/0.253 है0 = 1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 5/0.217 है0 पूर्वी पासा, 6/0.253 है0, 14/0.013 है0 पूर्वी पासा = 0.483 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजन कर वादी के नाम अंकित किये जाने एवं वादी के नाम अंकित इसी चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.253 है0, 24/1 में 0.202 है0 = 0.455 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.240 है0 पश्चिमी पासा, 24/1 में 0.192 है0 पश्चिमी पासा = 0.432 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से कलमजन कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:00 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 13.05.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–

सतनाम सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ.डी.एम. हाल आबाद ग्राम रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. **गुरदत्ता सिंह पुत्र मस्तान सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम भागसर 20 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़**
2. **राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 48 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 24 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री राकेश कुमार मनचन्दा व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री प्रदीप कुमार एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा व तबादलानामा प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 69/32 के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14/0.253 है0 = 1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 5/0.217 है0 पूर्वी पासा, 6/0.253 है0, 14/0.013 है0 पूर्वी पासा = 0.483 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का वादी सतनाम सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति जटसिख को एवं वादी के नाम अंकित इसी चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता सं. 71/10 के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.253 है0, 24/1 में 0.202 है0 = 0.455 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.240 है0 पश्चिमी पासा, 24/1 में 0.192 है0 पश्चिमी पासा = 0.432 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 गुरदत्ता सिंह पुत्र मस्तान सिंह जाति जटसिख को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं घोषणा अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14/0.253 है0 = 1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से <u>पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 5/0.217 है0 पूर्वी पासा, 6/0.253 है0, 14/0.013 है0 पूर्वी पासा = 0.483 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि</u> प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजन कर वादी के नाम अंकित किये जाने एवं वादी के नाम अंकित इसी चक 4 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.253 है0, 24/1 में 0.202 है0 = 0.455 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से <u>पत्थर नं. 100/352 (30) के किला नं. 17/0.240 है0 पश्चिमी पासा, 24/1 में 0.192 है0 पश्चिमी पासा = 0.432 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि</u> [illegible] नाम से कलमजन कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:00 IST
Reason: SelfAttested

नोज ....×......... मुबलिग ....×......... [illegible] ....×......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. फसदी की पालना ....×............आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13.05.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)